(56)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (रीवा)
जिला रीवा (म0प्र0)

271

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — 20/-

51
4.2.14

रामदीन तनय बेनीमाधव द्विवेदी निवासी डोमहाई तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0-----------------------------------निगराकार

बनाम

R 995-III/14

1- काशीनाथ तनय रामनाथ द्विवेदी निवासी डोमहाई तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0

2- म0प्र0 शासन-------------------------------------गैरनिगराकार

श्री... द्वारा आज दिनांक 4.2.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर 4.2.14
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक तहसील बिरसिंहपुर वृत्त जैतवारा जिला सतना म0प्र0 आदेश दिनांक 18.03.13 प्रकरण क्र.12अ12/2012-13 निगरानी अंतर्गत धारा 50 का0मा0

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण

यह कि आराजी नं. 350/1ख रकवा 1.66 ए0 स्थित मौजा डोमहाई तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 की आराजी गैरनिगराकार के नाम है इसी आराजी का 1/2 भाग निगराकार के नाम दर्ज कागजात है। गैरनिगराकार ने अपनी आराजी जो उसने निगराकार के सगे भाई से जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदा है जिसमें गलत चौहद्दी लिखाकर चौहद्दी का फायदा उठाते हुए सीमांकन कराया है जो अवैध है। साथ ही सीमांकन कराते समय निगराकार को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही उसे किसी प्रकार की सूचना दी गई जबकि वह सरहद्दी काश्तकार है कानूनन सरहद्दी काश्तकार को विधिवत् सूचना होनी चाहिए और उसे मौके पर सीमांकन के समय उपस्थित

Conti.......2

(56)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[illegible]ण क्रमांक R995-II/14 जिला–सतना

रामकीन द्विवेदी/ काशीनाथ द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजभान सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त जैतवारा, तह0 उचेहरा के प्रकरण क्रमांक 12/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। M (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	